दीपावली
के सुअवसर पर
पंजीकरण का शुभारम्भ

सिकन्दरा
सेक्टर-13 ए, आगरा

में

स्व वित्त पोषित भवन
आवासीय परियोजना
वर्ष 2013 (प्रथम चरण)
के अन्तर्गत
भवन प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर

पंजीकरण 08 नवम्बर, 2013
से 09 दिसम्बर, 2013 तक

IS 15700 : 2005

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

Website : http://www.upavp.com; E-mail : upavp@sancharnet.in

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

लोकेशन प्लान

सिकन्दरा योजना आगरा

1.	सिकन्दरा स्मारक रा0 मा0-2	:	2.50 किमी
2.	अन्तराज्यीय बस स्टेशन (I.S.B.T.)	:	400 किमी
3.	डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	:	7.00 किमी
4.	संजय प्लेस	:	5.00 किमी
5.	राजामण्डी रेलवे स्टेशन, आगरा	:	4.50 किमी
6.	कलैक्ट्रेट	:	6.00 किमी

सिकन्दरा
सेक्टर-13 ए, आगरा
63/162 फिनिश्ड भवन

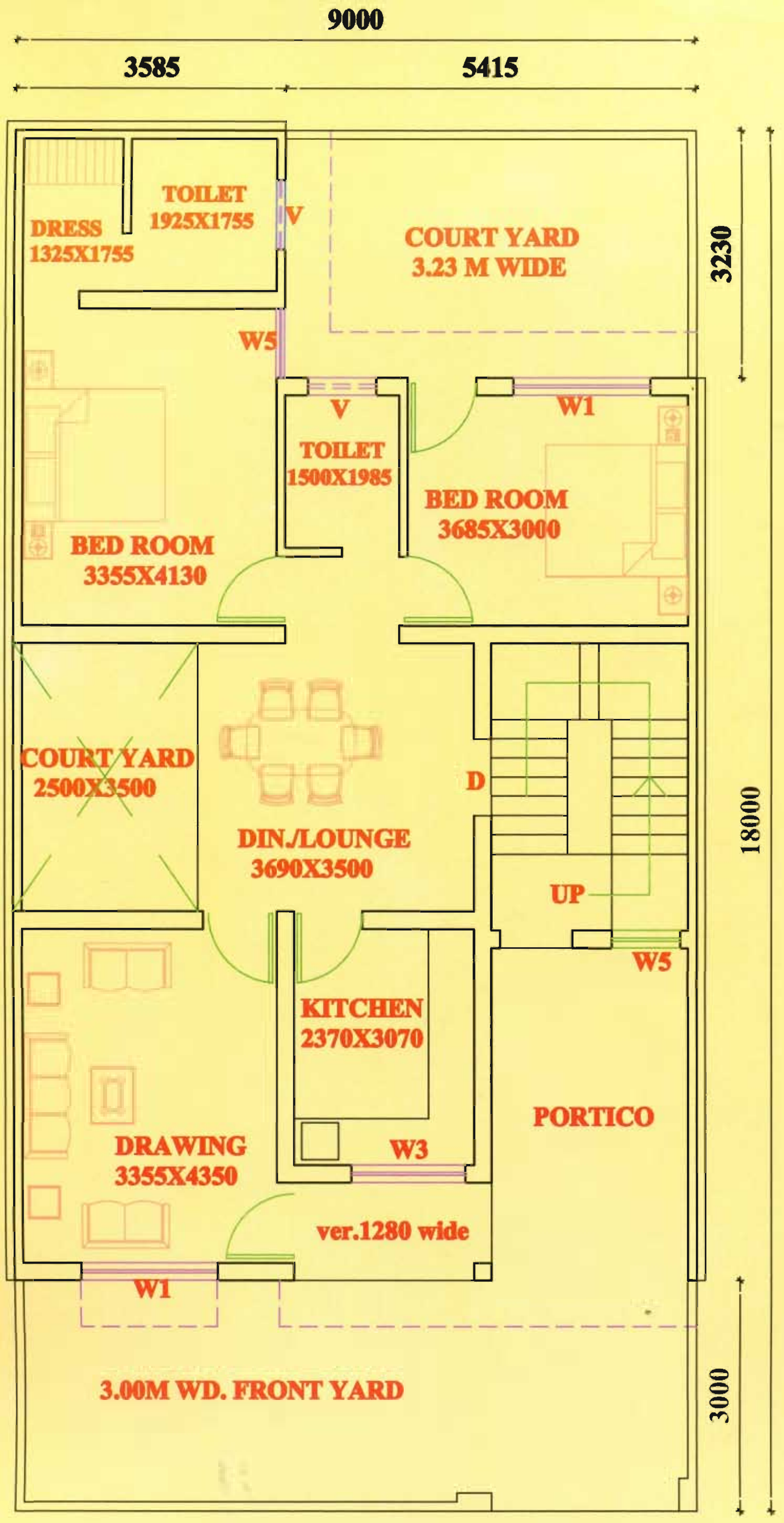

Key Plan

GROUND FLOOR PLAN
house type 63/162

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

सिकन्दरा योजना सेक्टर - 13ए में स्ववित्त पोषित भवन परियोजना की विवरण पुस्तिका

उ० प्र० आवास विकास परिषद द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय पुरम् (सिकन्दरा योजना) सेक्टर–13 ए आगरा में स्ववित्त पोषित पंजीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित उ.आ. वर्ग फिनिश्ड भवनों हेतु आवासीय परियोजना वर्ष 2013 (प्रथम चरण) का विवरण :–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय पुरम (सिकन्दरा योजना) आगरा में स्ववित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत सेक्टर–13ए, में प्रस्तावित आवासीय भवनों की महत्वाकांक्षी परियोजना में पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भवनों के विवरण, मूल्य एवं विशिष्टियाँ निम्नवत प्रस्तावित है।

1. (अ) भवनों का विवरण :-

क्र.सं.	सम्पत्तियों का प्रकार	सम्पत्ति श्रेणी	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग० फिट)	भवनों की संख्या	पंजीकरण के समय अनुमानित लागत (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)	चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु० लाख में)	अवशेष भुगतान छः तिमाही किश्तों में (प्रत्येक किश्त की प्रस्तावित धनराशि) (रु० लाख में)
1.	उच्च आय वर्ग भवन स्वं वित्त पोषित (फिनिश्ड)	63 / 162	1214.93	25	51.80	2.60	7.20	7.00

(ब) भवनों की विशिष्टयाँ :-

नीव : नीवं की ऊंचाई एवं गहराई डिजाइन के अनुसार होगी।

प्लिंथ ऊँचाई : प्लिंथ की ऊँचाई सड़क के क्राउन से 45.00 सेमी. ऊँची रखी जाएगी।

नीवं में बेस कन्क्रीट : नीवं में बेस कन्क्रीट 1:4:8 (1 सीमेन्ट : 4 कोर्स सैण्ड : 8 स्टोन बैलास्ट 40 मिमी. साईज)

भराव में नीव का प्रकार	:	फाउण्डेशन डिजाइन के अनुसार
सुपर स्ट्रक्चर में चिनाई	:	क्लास 125 ईंट की चिनाई का कार्य 1:6 (1 सीमेन्ट एवं 6 कोर्स सैण्ड) (1.8–2.2 एफ.एम.) मोर्टार में।
लिन्टल बीम एवं छत	:	लिन्टल बीम एवं छत में 1:1, 5:3 (1 सीमेन्ट : 1.5 कोर्स सैण्ड : 3 स्टोन ग्रिट 20 मिनी. साईज) प्रबलित सीमेन्ट कन्क्रीट
दरवाजे एवं चौखट फ्रेम	:	दरवाजों एवं चौखट के फ्रेम साल की लकड़ी में होंगे।
प्लास्टर	:	12 मिमी मोटा प्लास्टर 1:6 (1 सीमेन्ट : 6 कोर्स सैण्ड (1.8–2.2 एम.एम.) मोर्टार में।
फ्लोरिंग	:	टाइल्स फ्लोरिंग
डेडो, सकटिंग	:	रुम, किचिन एवं टायलेट में टाइल्स की सकटिंग व 6 मिमी. मोटी चाइना ग्लेज्ड टाइल्स डेडो टायलेट एवं किचिन हेतु।
रूफ ट्रीटमेन्ट	:	रूफ ट्रीटमेन्ट ब्रिक कोबा (10 सीएम औसतन)
दरवाजे के पल्ले	:	30 मिमी. मोटाई फ्लस डोर शटर्स
खिड़की के पल्ले	:	लकड़ी की ग्लेज्ड पल्ले।
दरवाजे की फिटिंग	:	एलुमिनियम की फिटिंग
फिनिशिंग	:	आन्तरिक फिनिशिंग हेतु आयल बाउण्ड डिस्टम्पर के 3 कोट, बाहरी फिनिशिंग हेतु वाटर प्रुफ सीमीन्ट पेन्ट के 2 कोट एवं एक कोट ऐपेक्स पेन्ट।
पेन्टिंग	:	स्वीकृत उच्च गुणवत्ता का सिन्थेटिक ऐनेमिल पेन्ट के दो कोट जो कि एक कोट प्राइमिंग पेन्ट पर होगा।
सेनेटरी एवं सप्लाई आइटम्स	:	सभी जी०आई० सी० आई० पाइप लाइने कन्सील्ड कर दी जायेंगी। एक वॉश बेसिन, एक ओडीसा टाइप की डब्ल्यू०सी० सिस्टर्न सहित, एक मार्बल सिंक, एक पानी की टंकी, उपलब्ध कराई जायेगी। सभी बिव कॉफ एवं स्टॉप कॉफ आईएसआई मार्का उच्च गुणवत्ता की उपलब्ध कराई जायेगी।
आंतरिक विद्युतीकरण	:	सभी बल्ब, पंखे एवं उत्सर्जन पंखा की वाइरिंग तांबे की तथा छत एवं दीवार में कन्सील्ड होगी।

2. पंजीकरण हेतु पात्रता

2.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

2.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

2.3 स्ववित्त पोषित भवन हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

2.4 आवेदक अथवा उसके परिवार के पास आगरा नगर में, जहां भवन क्रय करने के लिए पंजीकरण कराना है, कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ० प्र० के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

2.5 आवेदक अथवा उसके परिवार के पक्ष में परिषद द्वारा आवेदन से पहले कोई भूखण्ड/भवन प्रविष्ट न किया गया हो। यदि बाद में उसे किसी अन्य सम्पत्ति का प्रदेशन हो जाता है तो पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति के प्रदेशन का अधिकारी होगा।

3. पंजीकरण के नियम

3.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।

3.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका कय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

3.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति–पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत आवेदक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोडने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण हेतु पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड वाउचर पर आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा उसे वापस कर दी जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा।

3.5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड वाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

3.6 भवन निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के छः माह बाद तक भी परिषद भवन आवंटित नहीं कर पाती है तो आबंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

3.7 यदि किन्ही कारणो से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियो की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।

3.8 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद भवन देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

4. भुगतान का तरीका

4.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया

जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 06 त्रैमासिक किश्तो में देय होगी।

4.2 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए जो अधिकतम 3 माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित ब्याज देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा। अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

4.3 यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमो के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

4.4 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

4.5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में **"उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद स्व वित्त पोषित आवासीय परियोजना–2013 (प्रथम चरण)"** के नाम बैंक ड्राफ्ट जो आगरा शहर में देय हो, मांग–पत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम, भवन संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

4.6 निर्माण के पश्चात विक्रय मूल्य, क्षेत्रफल आदि में कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है जिसका समायोजन भवन का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, विलेख निष्पादन आदि के समय किया जायेगा।

5. आवंटन नियम :

5.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

5.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध भवनों की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

5.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध भवनों की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को एक साथ डालकर लाटरी द्वारा भवनों की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी आवेदकों की संख्या उपलब्ध भवनों की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेगें।

5.4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र आवेदक समान होगें। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से भवनों की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से एक साथ रहने के आधार पर भवनों की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा संभव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।

5.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव साथ–साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

5.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित भवन का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित भवन का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन भवन का विक्रय विलेख–निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

5.7 सम्पत्ति संख्या का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा।

5.8 प्रदेशन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के संबंध में कोई विवाद आदि स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5.9 सामान्य परिस्थितियों में भवन आवंटन निर्माण अवधि में कर दिया जायेगा परन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि भवनों के निर्माण में विलम्ब होता है तो उसके लिए परिषद किसी प्रकार उत्तरदायी न होगी और न ही भुगतान की गई धनराशि में किसी प्रकार का कोई ब्याज देय होगा।

6. आरक्षण :

प्रस्तावित योजना के भवनों में निर्गत आरक्षण शासन/परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	——————तदैव——————
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	——————तदैव——————
4	मा0 विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण। (स) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को सुविधा अनुमन्य नहीं।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन—पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण—पत्र की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंन्शन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोटः— उपरोक्त मे से कमांक 1 से 3 तक आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। कमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशो के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सम्पत्तियों के विरूद्ध उ० प्र० राज्य के अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (उ० प्र० सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित सूची के अनुसार) के आवेदकों को ही सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी के आवेदक माने जायेगें। जाति प्रमाण पत्र उ० प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ० प्र० शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

7.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

8. भवन का कब्जा

8.1 भवन का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

8.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार भवन का मूल्य व अन्य समस्त देय स्टैम्प डयूटी का भुगतान भवन के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

8.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू० 50/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

9. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्ते

10.1 भवन का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी द्वारा भवन में अतिरिक्त निर्माण बिना परिषद की अनुमति के नहीं किया जायेगा। इन शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें।

10.2 सम्पत्ति संख्या में कमी / वृद्धि हो सकती है।

10.3 कार्नर सम्पत्तियों पर भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

10.4 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / भवन परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेम्निटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

10.5 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।

10.6 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें।

10.7 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

10.8 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र आगरा होगा।

10.9 सम्पत्ति का मूल्य पंजीकरण पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू भूमि दर एवं वास्तविक निर्माण लागत के आधार पर आगणित किया जायेगा। सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है। अतिरिक्त भूमि का मूल्य आवंटन के समय प्रचलित दर पर देय होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

1 आवेदन पत्र हिन्दी या अग्रेंजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें

2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अग्रेंजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाय।

3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाएं भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन–पत्र के ब्लाक (BLOCK) को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।

4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसें : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा

6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच स्थान छोड़ने हेतु ब्लाक में एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।

8 आवेदन पत्र में बिन्दु–7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु ' F ' भरें।

9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर–1 में दिये गये विवरण में से किसी एक को भरना होगा।

10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित 'आरक्षण' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में आवेदक पर विचार अनारक्षित श्रेणी में किया जायेगा।

11 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक पर अनारक्षित श्रेणी में विचार किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र

सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

12 बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर को लेखा शीर्षक "उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद स्व–वित्त पोषित आवासीय परियोजना–2013" होगा जो आगरा में देय होगा।

13 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखो की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण क्योंकि आवेदन पत्र के बिन्दु–13 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर आवेदन–पत्र के साथ लगाना आवेदक के हित में होगा।

14 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन–पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर बैंक एकाउण्ट के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। पूर्ण सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटि रहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पाये।

15 आवेदन–पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।

16 अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

17 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय पंजीकरण संख्या, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।

18 आवेदन–पत्र जमा करते समय आवेदन–पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।

19 आवेदन–पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान–पत्र (वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।

20 तालिका में दर्शाये गये भवनों की संख्या घट बढ सकती है जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

शहर	**कोड**
आगरा	01
योजना	**कोड**
सिकन्दरा योजना, आगरा	084
लिंग	**कोड**
स्त्री	F
पुरूष	M

आरक्षण कोड	**कोड संख्या**
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	**F**
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	**G**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	**R**
समाज के विकलांग व्यक्ति	**D**
वरिष्ठ नागरिक	**O**
विस्थापित	**W**

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां–जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :–

आवेदक का परिवार –

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय –

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन –

"भवन या मकान'' शब्द में : ''फ्लैट" भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति –

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा –

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेंक और दीनार से हैं।

चरण (पंजीकरण का खुलना) –

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि से सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य –

उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति –

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है –

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

(3) यह सुविधा केवल स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को ही देय है उनके आश्रितों को यह सुविधा देय नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य –

सेवारत / सेवा निवृत सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य –

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य –

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य –

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य–

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

सिकन्दरा
सेक्टर-13 ए, आगरा

बैंक शाखा का नाम व पता जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है

पंजीकरण 08 नबम्बर 2013 से प्रारम्भ

आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 09 दिसम्बर 2013

क्रमांक	बैंक का नाम	पता	दूरभाष नं0
1.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	सिकन्दरा शाखा सिकन्दरा बोदला रोड निकट कारगिल पेट्रोल पम्प सेक्टर–13 आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा	0562–2600441, 2605985

उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ स्थित प्रचार अनुभाग से कार्यालय समय में रु. 500/– (476+24 वैट सहित) देकर प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण पुस्तिका दिनांक 08–11–2013 से उपरोक्त बैंक में भी उपलब्ध है।

आवेदन पत्र के आवागमन में डाक संबंधी विलम्ब हेतु बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

डाक द्वारा पुस्तक मंगाने हेतु (रु. 50/–) डाक खर्च अतिरिक्त देय होगा

नोट : आवेदन पत्र उल्लिखित बैंक में ही स्वीकार किये जायेंगे।

रू0 10/ – स्टैम्प पेपर (नोटरी द्वारा सत्यापित) सक्षम उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री / श्रीमती / कु0 ....उम्र..................................वर्ष..............................पुत्र / पुत्री / पत्नी...निवासी ....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ :–

1. मैं उपरोक्त नामित एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।

2. मैं घोषित करता / करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे परिवार किसी सदस्य से पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद को दूंगा / दूंगी।

4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।

5. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

6. मैं एतद्द्वारा वचन देता / देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जान बूझकर परिषद दिए हैं तो परिषद को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझें।

7. कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / क्रेताओं की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।

8. मैं .... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती .... जो रिश्ते में मेरे या मेरी ....है एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता.. जो रिश्ते में मेरे / मेरी ....है एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती...... .... जो मेरे / मेरी ....है एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।.

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक–1 से 8 तक दी गई सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

योजना में क्रियान्वयन, निर्माण एवं आवंटन आदि के सम्बन्ध में निम्न कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस कम शॉपिंग कॉम्पलैक्स
सेक्टर–9 सिकन्दरा योजना, आगरा
फोन : 0562 – 2604018

संयुक्त आवास आयुक्त
आगरा जोन
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस कम शॉपिंग कमलानगर,
आगरा
फोन : 0562 – 2881430

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–29
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
सेक्टर–9 आफिस कॉम्पलेक्स सिकन्दरा
योजना, आगरा
फोन : 0562 – 2602523

अधिक्षण अभियन्ता
षष्ठम वृत्त
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस कॉम्पलैक्स, कमलानगर,
आगरा
फोन : 0562 – 2880097

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय, लखनऊ

15 अगस्त सजावट का एक दृश्य

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद   रिफण्ड वाउचर फार्म   पंजीकरण संख्या

(पैराग्राफ 194 चैप्टर-9)
(फ.ह.बु. वैल्युम 5 पार्ट-प्रथम)

लेखा शीर्षक	जमा करने का उद्देश्य	जमा धनराशि	परिषद खाते में जमा तिथि	देय ब्याज की अवधि	कटौती (यदि कोई हो)	भुगतान हेतु देय धनराशि	जमा धनराशि सम्बन्धित सत्यापन एवं उसका विवरण	आवेदक का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

रिफण्ड शहर या एकाउण्ट
नगर का नाम
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
रसीदी टिकट

पूरा नाम ....
पता ....
....
आवेदनकर्ता का एकाउन्ट नम्बर
व बैंक शाखा का नाम
बैंक का नौ डिजिट का माईकर कोड ....

डी.सी.आर. नं. ....
....
पेज नं. ....
क्रम सं. ....
लेजर फोलियो नं. ....
पर जमा एवं कटौती का आंकलन कर लिया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....
.... ने मेरे समक्ष रु. 1/- के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर किये एवं इनका पता वही है जो टिकट के नीचे लिखा है।

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

रिफण्ड अधिकृत

सम्पत्ति प्रबंधक/सहायक आवास आयुक्त
भुगतान पारित रु. ....
(शब्दों में)..............................
....

पारण अधिकारी

नोट : कृपया रु. 1/- के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर (स्पष्ट पते सहित) किसी राजपत्रित अधिकारी या उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के किसी अधिकारी द्वारा उनकी नाम की मोहर सहित प्रमाणित कराकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र/चालान की चतुर्थ प्रति मूलरूप में साथ में यह रिफण्ड वाउचर सम्बन्धित कार्यालय को लौटाने का कष्ट करें।

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

SFS 2 0 1 3 0 1

फार्म संख्या
FORM No. 451

पं० दीन दयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना) सेक्टर 13 ए आगरा में एस०एफ०एस० भवनों के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

1. नगर का नाम – आगरा कोड 0 1 2. योजना का नाम – सिकन्दरा, योजना आगरा कोड 0 8 4

3. सम्पत्ति का प्रकार उच्च आय वर्ग 63 / 162 (फिनिश्ड)

4. आवेदक का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में भरें) Applicant's Name Sri/Smt/Km

(In English) ______________________________

(हिन्दी) ....

5. पिता / पति का नाम (Father's Name)

(In English) ______________________________

हिन्दी में) ....

6. जन्म तिथि ____ ____ ____ (तिथि माह वर्ष) 7. लिंग (Sex) M F आयु (Age)

8. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)
Reservation category (Certificate be essentially enclosed)

(अ) आरक्षण कोड
(Reservation code)
(ब) हारिजेन्टल आरक्षण कोड
(Horizental Reservation code)

9. पत्राचार का वर्तमान पता (Address for Correspondence)

(In English) ______________________________

पिन कोड (Pin code) ________

हिन्दी में ....

....

10. स्थायी पता (Permanent Address)

(In English) ______________________________

पिन कोड (Pin code) ________

हिन्दी में ....

....

कार्यालय प्रयोग हेतु

11. सम्पर्क हेतु दूरभाष संख्या (Telephone No. for contact)

अ बेसिक फोन नं. (Landline Phone No.)

ब मोबाइल नं. (Mobile No.)

स ई–मेल आई.डी. (E-Mail ID)

12. जमा की गई पंजीकरण धनराशि का विवरण (Detail of Registration Money)

Amount/राशि

DD/ Bankers Cheque No./ बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चे सं.

दिनांक / Date (DD/MM/YY)

निर्गतकर्ता बैंक तथा शाखा का नाम व पता / Drawee Bank and Address of the branch

13. पंजीकरण राशि की वापसी हेतु सूचना / Information of Application Account no to which refund is to be made

आवेदक के बैंक खाते का नम्बर (Bank of Account No.)

बैंक का नाम (Name of Bank)

शाखा का नाम (Branch Name)

बैंक का माइकर नं. (MICR No. of Bank)

बैंक शाखा का आई.एफ.एस.सी. (अनिवार्य रूप से भरा जाय) (IFSC Code of Bank Branch)

14. संलग्नको की संख्या व विवरण (अनिवार्य रूप से भरा जाय) Number & Details of enclosure (Compulsory)

कुल संलग्नक (No. of enclosure)

विवरण (Details)
A.
B.
C.

घोषणा (Declaration)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और न ही इसका कोई भाग असत्य है। मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने आवासीय फ्लैट्स योजना हेतु पुस्तिका में उल्लिखित समस्त नियम व शर्तों का उल्लंघन / मिथ्या पाया जाता है तो उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को आवेदन पत्र / आवंटित फ्लैट को निरस्त करने का अधिकार होगा।

I hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge, Nothing has been concealed and no part of it is false. I further declare that I have carefully read and understood the terms & condition of the scheme and do hereby agree to abide by the same. The U.P. Housing & Development Board has full right to cancel application & allotment in case of false information submitted by me.

दिनांक
Date

Signature of the applicant
आवेदक के हस्ताक्षर

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

SFS 2 0 1 3 0 1

फार्म संख्या
FORM No. 451

पं० दीन दयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना) सेक्टर 13 ए आगरा में एस०एफ०एस० भवनों के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

1. नगर का नाम – आगरा कोड 0 1 2. योजना का नाम – सिकन्दरा, योजना आगरा कोड 0 8 4
3. सम्पत्ति का प्रकार उच्च आय वर्ग 63/162 (फिनिश्ड)
4. आवेदक का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में भरें) Applicant's Name Sri/Smt/Km

   (In English)

   (हिन्दी) ....

5. पिता/पति का नाम (Father's Name)

   (In English)

   हिन्दी में) ....

6. जन्म तिथि तिथि माह वर्ष 7. लिंग (Sex) M F आयु (Age)
8. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)
   Reservation category (Certificate be essentially enclosed)

   (अ) आरक्षण कोड
   (Reservation code)
   (ब) हारिजेन्टल आरक्षण कोड
   (Horizental Reservation code)
9. पत्राचार का वर्तमान पता (Address for Correspondence)

   (In English)

   पिन कोड (Pin code)

   हिन्दी में ....

   ....

10. स्थायी पता (Permanent Address)

    (In English)

    पिन कोड (Pin code)

    हिन्दी में ....

    ....

कार्यालय प्रयोग हेतु

गुणवत्ता नीति

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद आवासीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में निरन्तर सुधार हेतु ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, स्वस्थ एवं विकासपरक वातावरण व संवेदनशीलता के साथ उच्च गुणवत्ता एवं क्रय क्षमता के अनुरूप उत्पादों मानकों के अनुरूप कार्यान्वयन से अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी।

गुणवत्ता नीति के निर्धारित लक्ष्य

- कार्यों हेतु निर्धारित समय एवं उनकी लागत के विचलन में कमी लाना।
- ग्राहकों की शिकायतों / समस्याओं में कमी लाना।
- ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करना।

खुशियों का आसमां, उमंगों का जहां,
बेहद खूबसूरत है, हमारा ये आशियां।

मूल्य : ₹ 500/-
(₹ 476 + ₹ 23.80 वैट)

जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए सम्पर्क करें
परिषद हेल्पलाइन नम्बर : 1800-180-5333 (टोल फ्री)

maheshwari & sons
maheshwaripress@gmail.com
Lucknow (0522) 4071816